न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित

प्रकरण संख्याः—05/2018

राजबहादुर सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

——प्रार्थी

बनाम

1.जगसीर सिंह पुत्र श्री गुरदित सिह
2.जगदेव सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह
3.लाभ सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह
4.कुलदीपसिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह
5.गुरबक्स सिंह पुत्र श्री मान सिंह
6.बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरबक्स सिंह
7.बचन सिंह पुत्र श्री गुरबक्स सिंह
8.धर्म सिंह पुत्र श्री कौल सिंह
9.कर्म सिंह पुत्र श्री कौल सिंह
10.लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री कौल सिंह
11.सवेन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह
12.कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह
13.सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
14.जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह

जाति जटसिख निवासीयान शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी में लम्बित पत्रावली बअनवानी जगसीर सिंह आदि बनाम हमीर सिंह आदि राजस्व वाद संख्या 260/2017, वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तारीख पेशी 15.03.2018 की पत्रावली को अन्य न्यायालय में अन्तरित किए जाने बाबत।

उपस्थितः–1.श्री छगन लाल सिडाना वकील प्रार्थी
2.श्री चानणराम वर्मा वकील अप्रार्थीगण

आदेश दिनांकः–20.04.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया में राजस्व वाद बअनवानी जगसीर सिंह आदि बनाम हमीर सिंह आदि के नाम से अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। इस वाद में प्रार्थी को प्रतिवादी संख्या 17 व प्रार्थी की पत्नी को को प्रतिवादी संख्या 146 बनाया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर टिब्बी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। न्यायालय सहायक कलक्टर के पीठासीन अधिकारी श्री उम्मेद सिंह रतनु राजनैतिक दबाव में है। प्रार्थी ने विचारण न्यायालय में दिनांक 05.03.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि उसकी पत्नी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना व हस्तगत प्रकरण में बार–बार विवाद्यक विरचित किये जाने एवं वादीगण को बार–बार साक्ष्य का अवसर दिये जाने एवं वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किये जाने के बाद प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे। प्रार्थना पत्र में दिनांक 08.03. 2018 को बहस सुनने से पूर्व वादी जगदेव सिंह श्री उम्मेद सिंह रतनु के चैम्बर में बैठा था एवं बाहर आते ही उसने यह कहा कि वह उसका आवेदन पत्र हर्जा सहित खारिज करवायेगा। न्यायालय के पीठासीन अध्किारी श्री अम्मेद सिंह रतनु ने प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2018 को हर्जा सहित निरस्त कर दिया एवं उस दिन भी जगदेव सिंह ने प्रार्थी को यह धमकी दी कि उसकी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बात हो गयी है एवं वह शीध्र ही अपने पक्ष में निर्णय पारित करवायेगा। प्रार्थी को विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर कोई विश्वास नही रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी उपरोक्त अनवानी वादपत्र का निस्तारण वर्तमान पीठासीन अधिकारी श्री उम्मेद सिंह रतनु से नही करवाना चाहता। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी में लम्बित पत्रावली राजस्व वाद संख्या 260/2017 बअनवानी जगसीर सिंह आदि बनाम हमीर सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किसी अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी से टिप्पणी मंगवाई गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि उपखण्डाधिकारी टिब्बी के न्यायालय मे वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर विश्वास नही रहा है। न्याय किया जाना ही पर्याप्त नही है न्याय करने का आभास भी पक्षकारो को होना आवश्यक है तथा न्याय होने के साथ–साथ दिखाई भी देना चाहिए। वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के राजनैतिक दबाव में है। वर्तमान पीठासीन अधिकारी का आचरण

सहायक कलक्टर

अन्य पत्रावलियो में भी सही नही रहा है। पत्रावली बअनवानी रूड सिंह बनाम ग्राम पंचायत तलवाडाझील आदि में दिनांक 14.12.2017 को उसका आवेदन पत्र निरस्त कर तारीख पेशी 18.12.2017 निश्चित की गई। इस आदेशिका की नकल जारी होने के बाद भी पीठासीन अधिकारी ने अन्य पक्ष से दुर्भीसन्धी कर रूपसिंह को नाजायज लाभ पहुचाने के आशय से आदेशिका में कांट–छांट कर तारीख पेशी 15.12.2017 निश्चित कर दिनांक 18.12.2017 को उसके विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। अप्रार्थी जगदेव सिंह प्रार्थी के पास आया प्रार्थी को यह धमकी दी कि उसकी पीठासीन अधिकारी से बात–चीत तो गई है। वाद पत्र में दिनांक 15.03.2018 को निर्णय अपने पक्ष में पारित करवा लेगा। अप्रार्थी ने यह भी धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव डलवा दिया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही रही है। इसलिए विचारणिय न्यायालय में लम्बित वाद पत्र किसी अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे। वकील प्रार्थी ने अपने कथनो के समर्थन में आरबीजे (18) 2011 पेज 556, आरएलडब्लयू 1988 (2) पेज 638, 2007(2) आरएलडब्लयू पेज 1077 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य असत्य व मनधंडत रूप से आधारहीन अंकित किये गये है। मूल प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण को इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को पहले भी उपखण्ड अधिकारी संगरिया पर मिथ्या आरोप लगाकर अपनी सहमती व स्वेच्छा से न्यायालय सहायक कलक्टर टिब्बी में अन्तरित करवाया था। प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जा चके हैं। प्रार्थी द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 12.03.2018 के विरूद्ध मा0 राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी कर रखी है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी एवं सरहीन हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश फरमाये जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्त का सःसम्मान अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के संबंध में है। पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी टिब्बी की रिपोर्ट का अवलोकन करने से उनके द्वारा किसी भी दबाव में कार्य नही किया जाना पाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाये है इनके संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किये है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतीत होता है। उक्त विवेचनानुसार उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के स्थानान्तरण के बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नही समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को यह निर्देश दिये जाते है कि वे प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रकिया को अपनाते हुए विधि सम्मत निर्णय करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनाक 20.04.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official